न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

49 / 2025

श्री चंचल महेश्वरी निवासी 112 / 190 सेक्टर 11 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर राज.

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 16.07.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के न्यायालय में विचाराधीन वाद माफी मन्दिर श्री कल्याण जी महाराज बनाम स्नेहलता व अन्य में प्रार्थना पत्र संख्या 296 / 2013 में दिनांक 21.10.2013 को जारी यथा स्थिति के आदेश की तहसीलदार मालपुरा को भेजी गई तहरीर व अंकन डिस्पेच रजिस्ट्रर की सत्यापित प्रति। इस केस में आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.04.2025 है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को पत्र कमांक 943 दिनांक 02.06.2025 व 1100 दिनांक 17.06.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने पत्र कमांक 279 दिनांक 16.06.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां उनके पत्र कमांक 97 दिनांक 11.03.2025 एवं समसंख्यक पत्रांक 219 दिनांक 24.04.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवादी गयी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर